कार्यालय – प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1245/12–1, मसूरी, दिनांक, 24/9/2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड,
ऋषिकेश (देहरादून)।

विषय :– **जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बाँध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुर्नवास), खण्ड., ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– इस कार्यालय की पत्र सं0 3845/12–1, दिनांक 17–05–2019 तथा आपका पत्रांक 1072/अ0(पु0)ख0ऋ0/व0भू0ह0प्र0/सौंग बाँध, दिनांक 06 अगस्त, 2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का बिन्दुवार उल्लेख करते हुए आपसे इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दृष्टांन्त कमियों का निराकरण कर आनलाईन प्रस्ताव अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। आपके स्तर से अपने उक्त सन्दर्भित पत्र में मात्र प्रस्ताव आनलाईन किये जाने का उल्लेख है, किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 1 से 6 तक की कमियों का निराकरण किये जाने की गयी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है।

आपके द्वारा प्रेषित आनलाईन प्रस्ताव एंव दिनांके 21–8–2019 को उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की हार्ड प्रति का परीक्षण करने पर निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार चस्पा किये जाने वाले एंव आनलाईन अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज परिपूर्ण नहीं पाये गये है। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलास्तरीय, उप खण्ड स्तरीय एंव ग्राम स्तरीय (समस्त) अनापत्ति प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों /जिलाधिकारी एंव उप जिलाधिकारी तथा ग्राम प्रधान के समुहर हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव मे यथास्थान चस्पा किया जाय, साथ ही आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा K(a) में उक्तानुसार समस्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलोड किये जाय। आपके स्तर से जिलास्तरीय में मात्र जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा समुहर हस्ताक्षर प्रपत्र–30 तथा ग्राम घुड़साल, ग्राम–रगड़गांव एंव ग्राम–थेवा के अनापत्ति प्रमाण–पत्र ही प्रस्ताव में चस्पा तथा आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा K(a) में उपलोड किये गये हैं।
2. प्रस्ताव में चस्पा छाया प्रतियां को सक्षम /सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।
3. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा .D(i) में परियोजना की justification को अपलोउ किया जाना है। आपके स्तर से प्रपत्र–13(b) के साथ अन्य प्रपत्र भसी अपलोउ किये गये हे। जिन्हें Remove कर मात्र justification को ही अपलोड किया जाय।
4. आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा L(g) एंव (h) आपके द्वारा अन्य प्रपत्र अपलोड किये गये हैं। कृपया आनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा L(g) एंव (h) में संगत दस्तावेज /प्रमाण–पत्र (संलग्नानुसार) यथास्थान अपलोड किये जांय।

उपरोक्त कमियां दृष्टांन्त स्वरूप उल्लिखित की जा रही हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 1 से 6 तथा आनलाईन प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए उक्त की अनुपालन सूचना अपने कवरिंग पत्र में उल्लिखित करने के साथ–साथ परिपूर्ण प्रस्ताव आनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें। आपके स्तर से प्राप्त प्रस्ताव की दोनों प्रतियां वापस लौटायी जाती है।

<u>संलग्न :– उक्तानुसार।(प्रस्ताव की दो प्रति)।</u>

भवदीया

(कहकशां नसीम,भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1245/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून) मसूरी वन प्रभाग।
6. वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर एंव मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट स्थिति से प्रस्तावक विभाग के द्वारा सम्पर्क करने पर पूर्ण सहयोग दें।

(कहकशां नसीम,भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

परियोजना का नामः–जनपद–देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु अवस्थापना(पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश(देहरादून) को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सी0ए0 लैण्ड हेतु लैण्ड ऑनर एंव यूजर एजेन्सी के मध्य एग्रीमेन्ट

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु वांछित 127.6712है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि के सापेक्ष दुगनें क्षेत्रफल 255.3424 अर्थात 256.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भुटगांव खाता सं0–01, खसरा सं0–0027 रकबा 51.43है0, खसरा सं0–0027 रकबा 27.57 है0 कुल रकबा 79.00है0 तथा खाता सं0–27, खसरा सं0–185 रकबा 48.60है0, ग्राम खासकोटी खाता सं0–02, खसरा सं0–99, 184 एंव 186 कुल रकबा 18.50है0, ग्राम खसहौंसी खाता सं0–10, खसरा सं0–47, 54, 199 एंव 266 कुल रकबा 8.76है0, ग्राम सणव खाता सं0–03, खसरा सं0–1535, 1873, 1993 एंव 2011 कुल रकबा 27.30है0, ग्राम मोगी खाता सं0–16, खसरा सं0–54, 56, 247, 248, 293, 1084, 1085 कुल रकबा 24.30है0, ग्राम टिगंरी चक खाता सं0–04, खसरा सं0–07, 134 कुल रकबा 29.00है0, जयद्वार मल्ला, खाता सं0–09, खसरा सं0–1783 कुल रकबा 20.54है0 की कुल 256.00हैव भूमि परिवर्तित की जानी प्ररतावित है। उक्त खसरा नम्बरान की सिविल सोयम भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु आबंटित नहीं की गयी है। वन विभाग को उक्त प्रयोजन हेतु वर्णित खसरा नम्बरान की सिविल सोयम भूमि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी		राजस्व विभाग		
सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभ्यिन्ता	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी

परियोजना का नामः—जनपद—देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत—65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना(पुर्नवास) खण्ड़, ऋषिकेश(देहरादून) को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

NON ENCUMBERENCE CERTIFICATE FOR THE FOREST LAND

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद—देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु वांछित 127.6712है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत—65.0467है0) वन भूमि के सापेक्ष दुगनें क्षेत्रफल 255.3424 अर्थात 256.00है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु परिवर्तित की जानी प्रस्तावित है। जिसका खाता सं0— 01, खसरा सं0—0027 रकबा 51.43है0, खसरा सं0—0027 रकबा 27.57 है0 कुल रकबा 79.00है0 तथा खाता सं0— 27, खसरा सं0—185 रकबा 48. 60है0 ग्राम भुटगांव, खाता सं0— 02, खसरा सं0—99, 184 एंव 186 कुल रकबा 18.50है0 ग्राम खासकोटी, खाता सं0— 10, खसरा सं0—47, 54, 199 एंव 266 कुल रकबा 8.76है0 ग्राम खसहौंसी, खाता सं0— 03, खसरा सं0—1535, 1873, 1993 एंव 2011 कुल रकबा 27.30है0 ग्राम सणव, खाता सं0— 16, खसरा सं0—54, 56, 247, 248, 293, 1084, 1085 कुल रकबा 24.30है0 ग्राम मोगी, खाता सं0— 04, खसरा सं0—07, 134 कुल रकबा 29.00है0 ग्राम टिगरी चक, खाता सं0— 09, खसरा सं0—1783 कुल रकबा 20.54है0 जयद्वार मल्ला की सिविल सोयम भूमि है। जिसे वन विभाग को उक्त भूमि के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आबंटित नहीं की गयी है, एंव उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है। उक्त भूमि में कोई मन्दिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल, भवन, पनघट, श्मशान घाट, ऐतिहासिक स्मारक, अभ्यारण्य एंव आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नहीं है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी		राजस्व विभाग		
सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभ्यिन्ता	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी